मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:::—

क्रमांक 1942/आर 601/2012/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 30 /09/2013

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

शासन के समस्त विभाग,

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषयः— नई सेवा /सेवा का नया साधन–वित्तीय सीमाओं का निर्धारण ।

—:::—

व्यय के किसी वर्ग को, जो विशिष्ट रूप से विधान सभा की जानकारी में लाए बिना खर्च नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की जाना प्रस्तावित न की गई हो, नई सेवा या सेवा के नये साधन के रूप में अर्थात् व्यय की नई मद के रूप में माने जाने के लिए इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 9310–1780–चार/ब–1/70, दिनांक 10 दिसम्बर, 1970, क्रमांक 552–आर–397–चार–ब–1–79 दिनांक 7 जून, 1979 तथा क0 216/चार/ब–1/95, दिनांक 10 मार्च, 1995 में वित्तीय सीमाएं निर्धारित की गईं थीं। उक्त सीमाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, राज्य प्राक्कलन समिति के अनुमोदन से, नवीन वित्तीय सीमाएं और मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

1. **स्थापना**

वे प्रस्ताव जिनमें वित्तीय व्यय रूपये 50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो,

टिप्पणीः–(1) किसी विभागाध्यक्ष–स्थापना अथवा विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी विशिष्ट बजट शीर्ष से किये जाने वाले व्यय के संबंध में ऊपर उल्लेखित सीमा एक पूरे वर्ष में नवीन स्वीकृत स्थापना पर होने वाले संचयी व्यय पर लागू होगी ।

निरन्तर.....2

(2) किसी वर्तमान कार्यालय का विभक्तीकरण करके नवीन कार्यालय की स्थापना या कार्यालय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, जिसमें आवर्ती व्यय रूपये 50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक व्यय हो, नवीन मद की श्रेणी में होगा ।

2. वेतनमानों का पुनरीक्षण

यदि केवल कुछ विशेष पदों अथवा एक वर्ग में सम्मिलित सभी पदों के वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव किसी एक पूरे वर्ष में रूपये 50.00 लाख से अधिक न हो तो वह नई सेवा नहीं होगी, किन्तु, यदि यह रूपये 50.00 लाख से अधिक हो, तो "नई सेवा" मानी जायेगी।

टिप्पणीः—वेतनमानों के पुनरीक्षण के उद्देश्य से नियुक्त वेतन आयोग/समिति की अनुशंसाओं के फलस्वरूप यदि वेतनमान पुनरीक्षित किये जाते हैं तो यह नई सेवा नहीं होगी ।

3. वाहन

निष्प्रयोजन घोषित वाहन के बदले में किये गये (प्रतिस्थापित) वाहन को छोड़कर (ऑटो–शक्ति या आंतरिक दहन इंजन से चलित) वाहनों का क्रय (दो पहिया, तिपहिया वाहन को छोड़कर) नई सेवा माना जावेगा। निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों को नीलामी /विक्रय से प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा करने के बाद प्रतिस्थापित करना "नई सेवा" नहीं माना जावेगा।

4. कार्यालय–व्यय/उपकरण

(अ) सामान्य कार्यालय सामग्री और व्यय जो निम्नांकित टिप्पणी में वर्णित है, पर प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5 लाख से अधिक व्यय "नई सेवा" माना जावेगा।

(ब) चिकित्सालय सामग्री, शिक्षण सामग्री और अन्य कोई सामग्री जो उपर (अ) में न दर्शाई गयी हो (जो सामान्य कार्यालयीन सामग्री न होकर किसी विशेष विभाग, के लिये आवश्यक विशेष सामग्रियॉ हों) का रूपये 20 लाख से अधिक का क्रय " व्यय की नई मद" माना जावेगा।

निरन्तर.....3

उपरोक्त वस्तुओं को निष्प्रयोज्य घोषित कर उनकी नीलामी और विक्रय–राशि को शासन के खाते में जमा करने के बाद बदलना "नई सेवा" नहीं मान्य किया जावेगा।

5. आयोग और समितियॉ

कोई समिति/आयोग (वैधानिक अथवा अन्य प्रकार की) जिसके गठन नियुक्ति के प्रथम वर्ष में वार्षिक व्यय रूपये 2 लाख से अधिक हो " नई सेवा" होगा।

6. मेला अथवा प्रदर्शनी इत्यादि

प्रत्येक प्रकरण में निम्नानुसार सीमा से अधिक व्यय "नई सेवा" माना जावेगाः–

जिला स्तरीय मेला	रूपये	1,50,000
संभाग स्तरीय मेला	रूपये	3,00,000
राज्य स्तरीय मेला	रूपये	15,00,000
राज्य के बाहर मेला	रूपये	40,00,000

प्रचार–उद्देश्य से पुस्तिका/ विज्ञापन का प्रकाशन, फिल्म–निर्माण /सिनेमा स्लाईड तैयार करना इत्यादि — प्रत्येक प्रकरण में रूपये 1,00,000 से अधिक व्यय ।

7. एक्स–ग्रेशिया भुगतान

प्रत्येक प्रकरण में रूपये 1,00,000 से अधिक व्यय।

8. डिकीधन का भुगतान

भारित व्यय इस श्रेणी के लिये बजट में, अपवादस्वरूप एकमुश्त प्रावधान किया जा सकता है। जब प्रावधान समाप्त हो जाए तो अधिकांश ग्रांट्स में वह पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे प्रकरणों मे पूरक विनियोजन अथवा आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के बाद ही अतिरिक्त व्यय किया जा सकता है। ऐसे व्यय की वे सभी मदें जो रूपये 25 लाख से अधिक की हों,

निरन्तर.....4

विशिष्ट रूप से विधान सभा की जानकारी में लाई जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिए रूपये 25 लाख से अधिक का व्यय "नवीन मद" माना जावे।

9. सहायक अनुदान/अनुदान राज सहायता

प्रत्येक प्रकरण में रूपये 1 लाख से अधिक के सभी आयोजनेतर अनावर्ती अनुदान व प्रत्येक प्रकरण में रूपये 50,000 से अधिक के आयोजनेतर आवर्ती अनुदान जब प्रथमबार दी जा रही हो, "नवीन मद" होगी। प्रत्येक प्रकरण में रूपये 2 लाख या अधिक की सभी आयोजना अनावर्ती अनुदान तथा प्रत्येक प्रकरण में रूपये 1,00,000 या अधिक की आयोजना आवर्ती–अनुदान भी "नई सेवा" मान्य होगी।

टिप्पणीः– (1) ऐसा अनुदान जो पहले कभी न दिया गया हो या ऐसे उद्देश्य जिसके लिए पहले अनुदान कभी न दिया गया हो, वह चाहे, कितनी भी राशि का हो "नवीन मद" मान्य होगा।

टिप्पणीः– (2) सामाजिक क्षेत्र अंतर्गत अशासकीय संगठनों जो गैर सरकारी के रूप में पंजीकृत है एवं न लाभ न हानि के सिद्वांत पर संचालित हो को दिये जा रहे अनुदान के मामलो में सीमाएँ किसी विशिष्ट विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप रूपये 2 लाख और रूपये 10 लाख के बीच हो सकती है। इस प्रकार के प्रकरणों में निर्धारित सीमाओं से कम का अनुदान "नवीन मद" नहीं माना जावेगा चाहे वह पहली बार ही क्यों न स्वीकृत किया जा रहा हो।

10. कार्य

1. रूपये 1 करोड़ से अधिक प्रत्येक कार्य या एक ही प्रकार के कार्य समूह के लिये जो एक ही प्रकार /आकार के हों तथा एक साथ किये जा रहे हों (उदाहरणार्थ– 100 क्वाटर्स का निर्माण) किसी कार्य / कार्य समूह पर कुल लागत–व्यय विचार में लिया जाना चाहिये न कि किसी वर्ष में आवश्यक बजट–प्रावधान। यह उन सभी कार्यों पर लागू होगा जो लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग या अन्य किसी कार्य विभाग द्वारा कराए जाएंगे।

निरन्तर.....5

प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग सुनिश्चित करेंगे कि–

(I) विधान सभा में पारित करने के लिये प्रस्तुत बजट में 'व्यय की नवीन मदें''विशिष्टतः/स्पष्टतः दर्शाई जावेंगी।

(II) प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के तहत किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रत्येक स्वीकृत आदेश में इस विषयक एक प्रमाण–पत्र अंकित किया जावेगा कि–

(अ) इस स्वीकृति–आदेश में सम्मिलित कोई भी व्यय वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अंतर्गत "व्यय की नवीन मद" की श्रेणी में नहीं आता है, अथवा

(ब) इस स्वीकृति आदेश द्वारा स्वीकृत–व्यय (विवरण दिये जायें) " व्यय की नवीन मद " की श्रेणी में आते हैं और इसके लिये

(क) विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, या

(ख) आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया गया है, और

(III) इस उद्देश्य के लिये समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2. कोई अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना " व्यय की नवीन मद" नहीं होगी, यदि परियोजना का पूरा व्यय विधान सभा द्वारा पारित किया गया हो किन्तु ऐसी परियोजना का कोई एक कार्य खण्ड "नवीन मद" होगा, यदि इसकी प्राक्कलित लागत 1 करोड़ रूपयों से अधिक हो। ऐसी परियोजना के लिये आवश्यक मशीनरी और निर्माण सामग्री का क्रय " नवीन मद" नहीं होगा चाहे उसकी लागत कुछ भी हो, किन्तु कारों, वैनों, जीपों का क्रय व्यय की नवीन मद" होगा।

11. मशीनें एंव उपकरण

यदि मुख्य बजट / पूरक मांग में मदवार/वस्तुवार बजट प्रावधान किया गया है तो ऐसे कार्य जिनके लिए प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो या जो पिछले वर्षों के बकाया स्वरूप के कार्य हो, के लिये औजार, प्लांट तथा अन्य आवश्यक मशीनों या निर्माण उपकरणों पर होने वाला व्यय "नवीन मद" नहीं माना जावेगा, चाहे लागत कितनी भी हो। अन्य सभी प्रकरणों में, उपर सब

निरन्तर.....6

पैरा–10 (।।) में उल्लेखित विशेष परियोजनाओं को छोड़कर, ऐसे कय जिनमें व्यय रूपये 25 लाख से अधिक हो " व्यय की नवीन मद " माने जावेंगें। बजट में व्यय का एकमुश्त अर्थात् कय की जाने वाली मशीनों इत्यादि की संख्या किस्म बताये बिना प्रावधान किया जाना कड़ाई के साथ हतोत्साहित किया जायेगा।

12. शासकीय कम्पनियों (सार्वजनिक उपक्रमों सहित) तथा विभागीय उपक्रमों में पूंजी निवेश और दिये जाने वाले ऋण

(अ) नई शासकीय कम्पनी की स्थापना अथवा दो या दो से अधिक शासकीय कम्पनियों का एकीकरण "सेवा की नई मद" होगा।

(ब) यदि मुख्य बजट में वार्षिक योजना के प्रावधानों के आधार पर प्रावधान किया गया है, तो किसी वर्तमान उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम में अतिरिक्त पूँजीनिवेश (शेयर केपिटल या टर्मलोन के रूप में) अथवा वित्तीय संस्थाओं को दिये गये ऋण "व्यय की नई मद" नहीं होंगे। (नीचे सूचीबद्ध परिस्थितियों को छोड़कर) निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी वर्तमान उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम में (अंशपूंजी अथवा टर्मलोन या दोनों के रूप में) पूँजी निवेश "व्यय की नई मद" होगा।

यदि गत वित्तीय वर्ष के अन्त में उस इकाई में शासन का कुल पूंजीनिवेश:–

(।) रूपये 25 करोड़ से अधिक नहीं है, तो 20 प्रतिशत या अधिक का प्रस्तावित पूँजीनिवेश "नवीन मद" माना जावेगा।

(।।) रूपये 25 करोड़ से अधिक किन्तु 75 करोड़ से अधिक नहीं है, तो 20 प्रतिशत या अधिक का प्रस्तावित पूंजीनिवेश "नवीन मद" माना जावेगा।

(।।।) रूपये 75 करोड़ से अधिक,तो गत वित्तीय वर्ष के अंत में उस इकाई में कुल पूँजीनिवेश का 15 प्रतिशत या अधिक का प्रस्तावित निवेश "नई सेवा" माना जावेगा।

(स) सभी अल्पावधि ऋण (जिनकी वसूली भुगतान के 12 महीनों के अंदर की जानी है) जो रूपये 1 करोड़ से अधिक होंगे "नई सेवा" माने जावेंगे।

निरन्तर.....7

13. निजी कम्पनियों/ उपक्रमों में पूँजीनिवेश और उन्हें दिये जाने वाले ऋण

निम्नलिखित को "व्यय की नवीन मद" माना जावेगा:–

(I) निजी कम्पनियों/उपक्रमों में प्रथमबार किया गया पूंजीनिवेश तथा उन्हे प्रथमबार दिये गये ऋण, चाहे राशि कुछ भी हो।

(II) निजी कम्पनियों/उपक्रमों जिनमें शासन पहले से ही शेयर होल्डर है, में निम्नलिखित रूप में किया गया पूँजीनिवेश तथा दिया गया ऋण –

(अ) रूपये 1 लाख से अधिक के साधारण शेयरों की खरीदी,

(ब) रूपये 5 लाख से अधिक के ऋण।

टिप्पणी:– किसी निजी कम्पनी के, जिसमें शासन पहले से ही शेयर होल्डर है, राइट्स /बोनस शेयरों की खरीदी "नवीन मद" नहीं होगी।

14. **सहकारी संस्थाओं में अंशपूँजी और/या ऋण के रूप में निवेश**

(I) अपैक्स स्तरीय संस्थाएँ– 1 करोड़ से अधिक।

(II) जिला स्तरीय बैंक और सहकारी संस्थाएँ– प्रत्येक प्रकरण में रूपये 40 लाख ।

(III) अन्य सभी संस्थाएँ–प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5 लाख।

टिप्पणी:– रूपये 10 लाख से अधिक के सभी अल्पावधि ऋण "नवीन मद" होंगे जब तक कि–

(अ) भारत शासन से तत्स्थानी ऋण प्राप्त करने के बाद नहीं दिये गये हों, या

(ब) जो तकाबी ऋण के स्वरूप के न हों।

15. **म्यूनिस्पिल या स्थानीय संस्थाओं को पेयजल कार्य हेतु ऋण और/ या अनुदान**

(I) प्रत्येक प्रकरण में रूपये 1 करोड़ से अधिक ऋण।

(II) प्रत्येक प्रकरण में रूपये 50 लाख से अधिक के अनुदान तथापि, विधि द्वारा स्थापित किसी स्थानीय संस्था/प्राधिकरण को दिये गए रूपये 1 करोड़ से अधिक के अग्रिम/ऋण जो राज्य शासन की ओर से किसी लोक निर्माण कार्य सम्पन्न करने के लिये दिये गये हो, "व्यय की नवीन मद" नहीं होंगे।

16. म्यूनिस्पिल, पंचायत, व्यक्ति आदि को दिये गये ऋण और अग्रिम

(I) प्रत्येक प्रकरण में रूपये 10 लाख से अधिक---जब ऋण ब्याज सहित हो और प्रथम बार दिया गया हो तथा जब ऋण-ब्याज रहित हो तो रूपये 2 लाख से अधिक के सभी प्रकरण।

(II) कोई ऋण जो इस प्रकार का हो कि पूर्व में कभी न दिया गया हो, चाहे कितनी भी राशि का हो नवीन मद होगा।

टिप्पणीः—व्यक्तियों को चिकित्सा/शिक्षा/आवास/वाहन/तकाबी/ के उद्देश्यों से दिये गये ऋण नई सेवा नहीं माने जावेंगे, किन्तु चिकित्सा तथा शिक्षा के उद्देश्य से दिये गये रूपये 1 लाख से अधिक के सभी ऋण विधान सभा की जानकारी में लाये जाने चाहिये।

17. कम्प्यूटराइजेशन परियोजना

किसी भी विभाग की रूपये 25 करोड़ से अधिक लागत की कम्प्यूटराईजेशन परियोजनाएं नवीन मद के रूप में मानी जायेंगी।

18. नई योजनाएँ/अवशिष्ट मदें

कोई नई योजना, जिनकी लागत रूपये 50 लाख या उससे अधिक हो और जो ऊपर पैरा (1) से (17) के बीच न आई हो।

19. सामान्य

(एक) किसी योजना को जिसके लिये बजट में "नई सेवा" के रूप में प्रावधान रखा गया हो लेकिन उसको उसी वर्ष के दौरान कियान्वित न किया जा सका हो, अगर उसे अगले वर्ष में प्रारंभ किया जाता है तो सिर्फ इसलिये ही उसे "नई मद" नहीं मान लिया जायेगा।

(दो) फर्नीचर, उपकरण, मोटर वाहनों और मशीनों के प्रतिस्थापन "नई सेवा" न होंगे।

20. सेवा के वर्गीकरण तथा प्रकार में परिवर्तन

(क) जहॉ व्यय किसी वर्तमान सेवा पर किया जाना हो लेकिन बजट प्रावधान गलती से किसी दूसरे शीर्ष के अधीन रख दिया गया हो अथवा

निरन्तर.....9

लेखावर्गीकरण में परिवर्तन के कारण व्यय को दूसरे शीर्ष के अधीन करना पड़ा हो, वहां ऐसा व्यय "नई सेवा" नहीं होगा।

(ख) जहॉ "राजस्व" के अधीन प्रावधान समर्पित कर दिये जायें और उतना ही व्यय "पूँजी" के अधीन किया जाना प्रस्तावित हो अथवा इसका विषय हो तो उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 19 तक के अनुदेश यह निश्चित करने के लिये लागू किये जायेंगें कि क्या प्रस्तावित व्यय " नई मद " है या नहीं ।

2. " नई सेवा" के उपर्युक्त पुनरीक्षित मापदण्ड, शासन के वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 216/चार/ब–1/95, दिनांक 10.03.1995 के स्थान पर स्थापित होंगे।

नोटः– वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 307/आर 201/2008/चार/ब–1/, दिनांक 21.04.2008 से प्रतिस्थापित ।

– उपरोक्त सीमाओं को प्रत्येक पॉच वर्षों के अंतराल पर पुनर्विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अजय नाथ) 28.9.2013
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर.....

पृ0 क्र0 1243 /आर 601/2012/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 30/09/2013

प्रतिलिपि:–

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभाग आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दोर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, भोपाल,
मुख्यलेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल,
को सूचनार्थ अग्रेषित।

(दो) प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ (लेखा परीक्षण)–1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित।

(तीन) प्रतिपिलपि सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित।

(राजेश सिंह)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग